कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जनकपुर रोड
जिला– सीतामढी

महाशय,

नगर पंचायत, जनकपुर रोड के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 692 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14704/342 दिनांक– 29.12.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 692/17–18
भाग–I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**नगर पंचायत, जनकपुर रोड**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री कमल नाथ झा, कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि:	2014–15 से 2016–17
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	31.07.17 से 05.08.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री राजीव कुमार –2, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री प्राण रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार–1, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अप्रील'14 से मार्च'17 की नमूना जांच की गयी।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई नगर पंचायत, जनकपुर रोड द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका:–1 श्रमसेस की कटौती नहीं (राशि– 6.80 लाख)

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गए योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाए गए थे और जिसकी लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत रू0 9000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 Dated 25.6.08	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 Dated 21.12.09	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 Dated 12.1.11	पटना	12/2010	155
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28.12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू0 9000 के आधार दर पर 122 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2009 एवं 147 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि में नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू 14500 के आधार पर की गई। गणना नगर पंचायत में संधारित 2016–17 के भवन निर्माण पंजी में दर्शाए गए आकड़ों पर आधारित है। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य रू 10 लाख से अधिक

थों के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा न्यूनतम कुल रू0 680754.70 के श्रम सेस के रूप में वसूल करना था। जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	स्वीकृत नक्शों की सं0	10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की सं0	वसूल की जाने वाली श्रम सेस की राशि	वसूल की गयी श्रम सेस की राशि	अन्तर (4-5)	नगर परिषद कार्यालय को सेस वसूली में हुई प्रशासनिक हानि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2016–17	25	23	680754.70	शून्य	680754.70	6807	

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– ।पर संलग्न)

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि अंकेक्षण दल के सुझाव को ध्यान में रखते हुए आगे से श्रम सेस की वसूली की जाएगी। इस छोटे से नगर पंचायत मे इस तरह का कार्य पहले कभी नहीं किया गया था।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 10 लाख से उपर के राशि के भवन पर श्रम सेस वसूल लेने का निर्देष सरकार के द्वारा 2007 में ही निर्गत किए गए थे।

कंडिका:–2 कम जमा /नहीं जमा –राशि 0.15 लाख

नगर पंचायत जनकपुर रोड के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के प्रस्तुत किये गए विविध रसीदों. रोकडबही एवं बैंक पासबुक/ स्टेटमेंट के मिलान में पाया गया कि राशि 14500/– का न तो रोकडबही में इन्द्राज ही पाया गया और न हीं राशि बैंक में जमा की गई। विवरण निम्नलिखित है:–

क्र सं	एच रसीद सं/ विविध रसीद	दिनांक	संग्रहित की गई राशि	जमा की गई राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	कम जमा/नहीं जमा की गई राशि	संग्रहकर्ता का नाम	रसीद का प्रकार
1	1951 से 1969	11.4.17 से 24.7.17 तक	6815.00	0.00	6815	0	श्री राम कुमार चौधरी प्रधान सहायक	
2	401 –472	23.5.17	29766.35	0.00	35755.26	29766.35	श्री कार्तिक कुमार वर्मा, टैक्स दरोगा	
3	1676 – 1689	02.12.15 – 10.12.15	8731.54	8015.00	0.00	716.54		
4	1740 –1742	28.1.16 – 30.1.16	9567.75	4992.00		4575.75		
5	1 – 100	3.9.16 – 24.11.16	73597.62	72901		696.62		
6	1 – 8	22.2.17 – 29.7.17	14500	0.00	0.00	14500		
			142978.26	85908	42573.26	14500		

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(1) के अनुसार वसूल की गई राशि को उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक नगर पंचायत के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, परन्तु यह पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया एवं राशि 14500/– अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं जमा किया गया।

कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि कम जमा राशि रू. 14500.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर जमा करायी जाएगी।

अतः राशि 14500/– का जमा सुनिश्चित की जाये एवं फलाफल से अंकक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका:–3 सामान के खरीद में अनियमितता राशि– 7.80 लाख

नगर पंचायत जनकपुर रोड में फागिंग मशीन की खरीद से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

1. नगर पंचायत बोर्ड के दिनांक 04.02.16 की बैठक में फागिंग मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात् दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में निविदा सं0 01/2016–17 दिनांक 07.06.2016 को निकाली गयी। निविदा के अनुसार निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथी 14.06.2016 थी। तथा निविदा खोलने की तिथी 14.06.2016 थी। निविदा के आलोक में 3 निविदादाता ने निविदा डाली। दिनांक 19.11.16 के बैठक के प्रस्ताव सं0 02 द्वारा फौगिंग मशीन आपूर्ति करने के लिए मे0 मौर्या मोटर्स प्रा0 लि0 पटना का चयन किया गया। (प्रति मीस राशि रू. 781000/–)
3. तत्पश्चात् कार्यालय आदेश निर्गत किया गया। (109/17.02.2017) आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया।

भुगतान विवरणी–

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	713925	06.03.2017	741950.00
2	202254	14.07.2017	38000.00
कुल			**779950.00**

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने संकल्प सं0 2372/8.8.2014 के द्वारा सभी नगर निकाय को यह निर्देश दिया है कि 'बुडको को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण, गाड़ियों तथा यंत्रों के क्रय हेतु विहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत 'राज्य क्रय संगठन' किया गया है। इस सेवा के लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से सेंटेज देय होगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि बुडको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य क्रय संगठन नामित करने के बावजूद सभी नगर निकायों के पास यह विकल्प के रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य नगर निकाय बुडकों से करायें अथवा स्वयं करें। नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेंगें।
2. नगर पंचायत के द्वारा संधारित फागिंग मशीन क्रय से संबधित संचिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि बोर्ड से पारित कराकर निविदा के माध्यम से फागिंग मशीन का क्रय किया गया एवं राशि रू. 779950/– का अंततः भुगतान किया गया।
3. निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 07.06.16 को निकाली गयी। 131(H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह

पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 07.06.16 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 14.06.2016 दी गयी है, अर्थात उक्त नियम के विरूद्ध केवल 06 दिन का ही समय दिया गया तथा 131(I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए तथा E-tendering नहीं किया गया। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के बाद ही सामान का कय किया गया था, तथा उपरोक्त स्थिती जानकारी के अभाव के कारण ही हुई है, भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाएगा।

अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार ही समान की खरीदारी सुनिश्चित की जाय ताकि सामान की खरीदारी में पारदर्शिता लायी जाय।

कंडिका:– 4 सामान खरीद मे अनियमितता एवं वैट में कटौती नहीं करने के कारण रू. 46437 का अधिक भुगतान

नगर पंचायत जनकपुर रोड एल.ई.डी की खरीद से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

1. नगर पंचायत बोर्ड के दिनांक 18.10.14 की बैठक के प्रस्ताव सं0 के द्वारा एल.ई डी. लाइट 26 से 30 वाट का खरीदने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात् दैनिक सामाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में निविदा सं0 03/2014–15 दिनांक 04.12.14 को निकाली गयी। निविदा के अनुसार निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथी 10.12.14 थी। तथा निविदा खोलने की तिथी 11.12.14 थी। निविदा के आलोक में 6 निविदादाता ने निविदा डाली। इन 06 निविदादाता में से 05 निविदादाता का चयन वित्तीय वीड खोलने के लिए किया गया। दिनांक 11.12.14 को वित्तीय वीड का अवलोकन करने के पश्चात् मे0 लक्ष्मी कन्सट्रक्सन एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क्स का चयन किया गया। (प्रति पीस राशि रू. 5630/– तथा रू. 1800/– अधिष्ठापन सहित)
3. दिनांक 12.12.14 को साधारण बोर्ड की बैठक हुई जिसमें 11.12.14 को लिए गए निर्णय का अनुमोदन साधारण बोर्ड के द्वारा किया गया।
4. तत्पश्चात् कार्यालय आदेश निर्गत किया गया। (501/12.12.14) आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया।
5. अधिष्ठापन का भौतिक सत्यापन कार्तिक कुमार वर्मा एवं विजय कुमार शर्मा के द्वारा किया गया।

भुगतान विवरणी–

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	194354	20.07.15	882313.00

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 04.12.14 को निकाली गयी। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 04.12.14 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 10.12.2014 दी गयी है, अर्थात उक्त नियम के विरूद्ध केवल 06 दिन का ही समय दिया गया तथा 131(I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।
2. संचिका में सिर्फ 117 बल्ब का ही अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। शेष 08 बल्ब का अधिष्टापन प्रमाण पत्र दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।
3. तकनीकि निविदा नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सं0 08 के पार्षद, वार्ड सं0 09 के पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में दिनांक 11.12.14 को खोली गयी, तकनिकि निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था। तकनीकि निविदा के चयन में तकनीकि व्यक्ति का भाग लेना एवं उनकी सहमति आवश्यक है। बिना तकनिकि व्यक्ति की उपस्थिति में तकनिकि निविदा पर कैसे विचार किया गया। बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेड एफ का पालन नहीं किया गया।
4. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं आपूर्तिकर्त्ता को पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को राशि रू. 46437/– का अधिक भुगतान किया गया।
5. वित्तीय वीड के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बिहार रेडियो हाउस, सीतामढ़ी ने 26 वाट के लिए रू. 4200/– प्रति पीस अधिष्टापन सहित राशि पर अपनी सहमति दी थी जबकि मे0 लक्ष्मी कन्सट्रक्सन एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क्स सीवान ने 25 वाट के लिए प्रति पीस रू. 5630/– एवं रू. 1800/– प्रति पीस अधिष्ठापन अर्थात कुल रू. 7430/– की राशि पर अपनी सहमति दी। क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा रू. 7430/– की राशि का चयन किया गया जबकि उनके पास रू. 4200/– प्रति पीस पर बल्ब का विकल्प उपलब्ध था। बिहार वित्तिय नियमावली के अनुसार सबसे निम्न निविदादाता को ही प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए थी जो नहीं किया गया। अगर उक्त नियमानुसार सबसे निम्न निविदादाता को प्राथमिकता दी जाती तो नगर पंचायत को राशि रू. 403750/– (125x7430- 125x 4200) कम खर्च होता। अथार्त राशि रू.403750/– बचाया जा सकता था।
6. इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समान खरीदने के समय विहार वित्त नियमावली के नियम अध्याय–8 नियम 124 एवं General Rules of purchasing का पालन नहीं किया गया। अगर

पालन किया जाता तो निविदा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती एवं इससे कम दाम पर समान प्राप्त हो सकता था।

आपत्ति के आलोक में इकाई द्वारा यह जवाब दिया गया कि नगर पंचायत द्वारा बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के बाद ही सामान का क्रय किया गया था, वो जानकारी के अभाव के कारण ही हुई है, भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाएगा।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जबाब मान्य नहीं है क्योंकि वैट की कटौती उक्त नियमानुसार नहीं करने के कारण अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 46437/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी पुर्नावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाय ताकि बिहार वित्त नियमावली का पालन किया जा सके एवं सामान की खरीदारी में पारदर्शिता लायी जा सके।

कंडिका:–5 सामान के खरीद में अनियमितता

नगर पंचायत जनकपुर रोड के सामान की खरीद से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

1. नगर पंचायत बोर्ड के दिनांक 26.05.14 के प्रस्ताव सं0–4 के द्वारा निम्नलिखित सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया गया।

   सकशन मशीन–01
   फागिंग मशीन–01
   टेम्पु हाईड्रोलिक कूड़ा बाक्स सहित–01
   सी.एफ.एल–125 (फिलिप्स या बजाज)
   हाथ ठ्रेला–05

2. तत्पश्चात् दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 23.07.2014 को निविदा निकाली गयी। (आम सूचना सं0 02/14–15)

3. निविदा के अनुसार निविदा जमा करने की अंतिम तिथी 30.07.14 थी तथा निविदा खोलने की अंतिम तिथि 31.07.2014 थी।

4. संचिका के अनुसार निविदा दिनांक 31.07.14 को खोला गयी। निविदा खोलने के समय नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सं0 08 के पार्षद एवं एक अन्य वार्ड सदस्य थे।

5. तुलनात्मक विवरणी के आलोक में सबसे निम्न निविदादाता 'मे0 सोम्या कन्ट्रैक्टर एवं डेवलप्मेंट लि0' पटना का चयन किया गया।

6. चयनोपरान्त कार्यालय आदेश सं0 326/05.09.2014 निर्गत किया गया। आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय के द्वारा राशि का भुगतान किया गया।

भुगतान विवरणी

क्रम सं0	समान	सं0	राशि		
			चेक सं0 / दिनांक		राशि
1	सकशन मशीन	01	280779	31.12.14	711750.00
			713802	16.06.15	250000.00
			194360	01.02.16	13250.00
2	टेम्पु हाईड्रोलिक कुड़ा बक्स सहित	01	280785	31.01.15	705600.00
			194360	01.02.16	78400.00
3	सोडियम वेपर लाइट	125	280779	31.12.14	383250.00
			809839	30.11.14	480000.00
			280779	31.12.14	155000.00
			194360	01.02.16	294250.00
4	हाथ ठेला	05	809839	30.11.14	89524.00
			194360	01.02.16	27976.00
			कुल		**3189000.00**

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enguiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Jouneral, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में दिनांक 23.07.14 को निकाली गयी। इसके अलावा 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 23.07.14 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 30.07.2014 दी गयी है, अर्थात उक्त नियम के विरूद्ध केवल 07 दिन का ही समय दिया गया तथा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

2. संचिका में सिर्फ 69 बल्ब का ही अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। शेष 56 बल्ब का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. तकनीकि निविदा नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सं0 08 के पार्षद एवं एक अन्य वार्ड सदस्य की उपस्थित में दिनांक 31.07.14 को खोली गयी, तकनीकि निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था। तकनीकि निविदा के चयन में तकनीकि व्यक्ति का भाग लेना एवं उनकी सहमति आवश्यक है। बिना तकनीकि व्यक्ति की उपस्थिति में तकनीकि निविदा पर कैसे विचार किया गया। बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेड एफ का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ वित्तिय वीड खोलते समय भी वही व्यक्ति उपस्थित थे जो तकनीकी निविदा खोलने के समय उपस्थित थे अथार्त नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सं0 08 के पार्षद एवं एक अन्य वार्ड सदस्य, अर्थात कार्यालय के तरफ से न तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे और न ही निविदा स्वीकृत होने के बाद उनसे सहमति ली गयी।

4. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सामान मे0 सोम्या कन्ट्रैक्टर एवं डेवलप्मेंट लि0' पटना से खरीदा गया। अतः उक्त नियमानुसार वैट की राशि काटकर ही अंतिम भुगतान करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं आपूर्तिकर्त्ता को पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता को राशि रू. 157178/– का अधिक भुगतान किया गया।

5. इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समान खरीदने के समय बिहार वित्त नियमावली के नियम अध्याय–8 नियम 124 एवं General Rules of purchasing का पालन नहीं किया गया। अगर पालन किया जाता तो निविदा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती एवं शायद इससे कम दाम पर समान प्राप्त हो सकता था।

6. आगे संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा सं0 02/14–15 में एल.ई.डी लाइट खरीदने की बात कही गयी थी उस निविदा में कहीं भी सोडियम भेपर लाइट का जिक नहीं किया गया था तो किस निविदा के आलोक में नगर पंचायत में 125 पीस सोडियम भेपर लाइट का कय किया गया एवं इसपर राशि 1365000/– का व्यय किया गया।

7. बिहार सरकार वित विभाग के संकल्प सं0 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.9.2009 का पालन नहीं किया गया। जिसके अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरुपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अतंर्गत राज्य के

विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रयों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के बाद ही सामान का क्रय किया गया था, वो जानकारी के अभाव के कारण ही हुई है, भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाएगा।

अतः अनुरोध है कि वैट की कटौती उक्त नियमानुसार नहीं करने के कारण अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 157178/– की वसूली की जाय एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाय ताकि बिहार वित्त नियमावली का पालन किया जा सके एवं सामान की खरीदारी में पारदर्शिता लायी जा सके।

कंडिका:–6 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी कं वेतन का भुगतान किया जाना राशि– 8.14 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) (ख) नगर परिषद अथवा नगर परिषद के मामले में :–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,
(iii) नगर अभियंता,
(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, अद्ध नगर सचिव, और
(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा– (2) के उपबंधों के अध्यधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय– (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जाएगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जाएगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एव भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्त्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

40. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्त्तें– नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा वाध्यता साहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्त्तों के अध्यधीन होंगें, जैसा कि विहित की जाय।

41. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, नगर निगम अथवा नगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अधिनियम में किये गये उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बगैर सशक्त स्थायी समिति के सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

लेकिन नगर पंचायत जनकपुर रोड के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3343 दिनांक 05.11.2014 द्वारा नगर पंचायत को चार मैन पावर सप्लाई के विरूध राशि का मॉग किया गया था। भुगतानों के जॉच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर पंचायत जनकपुर रोड कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले चार कर्मियों का एक वर्ष के संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से ड्राफ्ट सं0 621785 दिनांक 20.02.15 से रू0 813728.00 का चेक पत्रांक सं0 68/25.02.2015 निर्गत किया गया।

चार कर्मियों के योगदान की विवरणी इस प्रकार है।

पदनाम	योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि
सिविल अभियंता	विजय कुमार शर्मा	26.12.14
लेखापाल	रवि रंजन प्रसाद	03.12.14
क्लर्क	अमित रंजन	08.12.14
क्लर्क	सुमित कुमार ठाकुर	03.12.14

अतः इन नियुक्तियों के संबंध में अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करने का आग्रह किया गयाः–

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को पहले दी गयी थी?
2. क्या नगर पंचायत जनकपुर रोड कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग की गयी थी?
3. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति दी गयी थी या नहीं अगर नहीं तो रू0 813728.00 का चेक नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किस आधार पर निर्गत किया गया?
4. इस नगर पंचायत कार्यालय में उपरोक्त पद स्वीकृत है अथवा नहीं।
5. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस भुगतान के लिए स्वीकृति कब दी गयी थी?
6. क्या कर्मियों के योगदान करने के बाद सशक्त स्थायी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी?

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि नगर पंचायत के द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग नहीं की गई थी, फिर भी राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए कर्मियों का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से राज्य के आदेशानुसार किया गया।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

कंडिकाः–7 पंचम राज्य वित्त अयोग एवं चौदहवीं वित्त आयोग से विभागीय स्तर पर कार्य किया जाना राशि– 27.84 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3557/20.11.2014 के द्वारा सभी नगर निकाय को यह आदेश निर्गत किया गया था कि 'कभी कभी पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय तत्काल कार्य करने की आवश्यकता को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13 वीं वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी योजनाओं जिनकी लागत 7.50 रूपये है का क्रिन्यावयन निविदा अथवा विभागीय रूप से की जा सकती है।'

आगे यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएं ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएगी और एक स्कीम के लिए दिए गये एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।

संबंधित नगर निकाय, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो को देखते हुए यह निर्णय लेंगें कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यन्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

जनकपुर नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत किए गए योजना विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि पंचम राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवीं वित्त आयोग की योजनाएं विभागीय तौर पर कारवायी गयी एवं राशि रू. 2784821/– का व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	मद	योजना सं0	प्राक्कलित राशि	व्यय की गयी राशि	अभिकर्त्ता का नाम	कार्यालय आदेश सं0 / दिनांक
1	पंचम राज्य वित्त आयोग	01 / 16–17	310800.00	299000.00	विजय कुमार शर्मा, कनीय अभियंता	
2		02 / 16–17	265300.00	251100.00		
3		03 / 16–17	448700.00	425721.00		
7	चौदहवीं वित आयोग	08 / 16–17	274700.00	245500.00		
8		06 / 16–17	245000.00	225000.00		
9		05 / 16–17	383400.00	352000.00		
10		01 / 16–17	661800.00	609500.00		
11		02 / 16–17	398000.00	377000.00		
		कुल	**2987700.00**	**2784821.00**		

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. उपर्युक्त दिशानिर्देश के विरूद्ध कराये गये कार्य के कारण से दल को अवगत नहीं कराया गया।
2. तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता को एक समय में तीन से अधिक योजना आवंटित किए जाने के कारण से दल को अवगत नहीं कराया गया।
3. एक ही व्यक्ति को अधिक योजना आवंटित किए जाने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।
4. उक्त सभी योजनाओं का पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा से किस प्रकार संबंध है दल को नहीं बताया गया।

नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर योजनाओं का कियान्वयन विभागीय स्तर पर किया गया था भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार उक्त योजनाओं में संविदा से ही कार्य किया जाना चाहिए था जबकि कार्य विभागीय किया गया।

कंडिका:–8 त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन एवं गुणवत्ताहीन कार्य– रू. 9.5 लाख

योजना का नाम– वार्ड न0 10 में रघुनी टावर से एस एच 52 तक पी सी सी कार्य

प्राक्कलित राशि – रू 1059505

तकनीकी स्वीकृति – रू 1070100 ; कार्यपालक अभियंता डूडा के द्वारा प्राक्कलन हस्ताक्षरित तिथि 23.09.13 लेकिन संचिका से स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी स्वीकृति दी गई थी अथवा नहीं।

प्रशासनिक स्वीकृति – न0वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पत्रांक 27 दिनांक 12.8.15
एकरारनामा की राशि – रू 953555 (10 प्रतिशत कम पर)
निविदा की तिथि –19.03.16
एकरारनामा की तिथि –28.10.16
कार्यादेश की तिथि –29.10.16
संवेदक का नाम – श्री हरिशंकर साह
भापी की राशि – रू 950000

भुगतान का विवरण –

कटौती का विवरण					संवेदक को भुगतान की गई राशि		
सुरक्षित जमा राशि 5 प्रतिशत	आयकर	वाणिज्य कर	श्रम सेस	रायल्टी	चेक न	तिथि	राशि
रू 47500	रू 21527	रू 47500	रू 9500	रू 14673	A713915	18.1.17	728370
					A713221	9.2.17	80930

प्राक्कलन के अनुसार किये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र सं	आइटम सं	कार्य का विवरण	मात्रा
1	1	Providing PCC (1:1 1/2:3) with stone chips and sone sand	139.72 M^3
2	2	E/w in filling on both side in flanks etc all complete job	110.45 M^3
3	3	Providing 100A Bricks on edge soling joints filled with . Local snd as per spc. And direction of e/s	200.55 M^2
4	4&5	Carriage of materials	
5	6	Providing fitting and fixing of Name plate of the scheme	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त योजना का प्राक्कलन 23.09.13 को बनाया गया था। निविदा लगभग ढाई वर्षों के बाद दिनांक 19.03.16 को सम्पन्न हुई। कार्यादेश निविदा सम्पन्न होने के लगभग सात माह बाद दिया गया क्योंकि संवेदक नोटिस देने के बाद एकरारनामा हेतू प्रस्तुत हुए। निविदा 10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी थी। इस प्रकार योजना पर कार्य प्राक्कलन बनाने के तीन वर्षो क्रे बाद शुरू हुआ और निर्धारित अवधि तीन माह के भीतर सम्पन्न किया गया।

उपरोक्त योजना के प्राक्कलन के अनुसार पी सी सी कार्य किया जाना था। पीसी सी कार्य से पहले भौतिक अर्थ वर्क, सैंड फिलिंग, ब्रिक सोलिंग आदि का किया जाना होता है जिससे सडक मजबूत एवं गुणवत्ता पूर्ण हो। प्राक्कलन के तैयार करने से पहले स्थल की भौतिक जॉच कर पूर्व में किये गए कार्य का विवरण देते हुए किए जाने वाले कार्य का विवरण दिया जाता है। संचिका से यह स्पष्ट नहीं कि 2013 में प्राक्कलन तैयार करते हुए पीसीसी कार्य से पहले होने वाले कार्यो का आकलन किया गया था या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं कि लगभग ढाई वर्षों के बाद स्थल की क्या स्थिति थी एवं उस पथ पर बिना कोई आधारभूत कार्य के पीसीसी करवाया जाने योग्य था या नहीं।

कार्यालय जनकपुर रोड के द्वारा संवेदक श्री हरिशंकर साह को ज्ञापांक 494 दिनांक 20.7.17 के द्वारा लिखा गया कि वार्ड न0 10 में रघुनी टावर से एस एच 52 तक पी सी सी कार्य पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. वर्ष 2013 में प्राक्कलन तैयार करते हुए पीसीसी कार्य से पहले होने वाले आधारभूत कार्यो का आकलन किया गया था या नहीं। लगभग ढाई वर्षों के बाद निविदा निकालने से पहले स्थल की क्या स्थिति थी एवं उस पथ पर बिना कोई आधारभूत कार्य के पीसीसी करवाया जाने योग्य था या नहीं। संबंधित साक्ष्य या तथ्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. प्राक्कलन के दरों की पुनरीक्षण की आवश्यकता थी या नहीं, इसे लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

3. आवंटन पत्र के आलोक में बिन्दु 6(ii) यह उल्लेखित है कि संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय– समय पर किया जाएगा। इस बिन्दु के अनुपालन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. नगर पंचायत के बोर्ड से पारित होने संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति न तो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही आपत्ति का जवाब दिया गया।
5. राज्य योजना के तहत उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति किस तकनीकी पदाधिकारी द्वारा दी जानी थी तथा संबंधित पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी अथवा नहीं। इस संबध में जानकारी लेखापरीक्षा दल को नहीं दी गयी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित जवाब दिया गया
क. स्थलीय जॉचकर के प्राक्कलन तैयार किया गया।

ख. तत्कालीक दरों पर प्राक्कलन तैयार किया गया एवं उसके अनुरूप कार्य कराया गया।

ग. जिला पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं है।

घ. योजना बोर्ड से पारित है।

ड़. कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गई थी, तकनीकी स्वीकृति की मूल प्रति की छाया–प्रति खोजकर अंकेक्षण दल/ कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उपरोक्त जवाब मान्य नहीं है कि स्थलीय जॉच का प्रतिवेदन साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया। लम्बी अवधि बीत जाने के बाद प्राक्कलन के पुनरीक्षण की आवश्यकता संबंधित स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। योजना बोर्ड से पारित है या नहीं इससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। राज्य सरकार से संबंधित दिशा निर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण संबंधित साक्ष्य नहीं दिया गया। तकनीकी स्वीकृति की प्रति संचिका में उपलब्ध रहना चाहिए था। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन एवं तदनुरूप गुणवत्ताहीन कार्य के परिणामस्वरूप मात्र लगभग सात माह के अंदर पी सी सी सडक पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गया। नागरिकों को असुविधा के साथ साथ नगर पंचायत के द्वारा व्यय की गयी राशि निष्फल हुआ।

कंडिकाः 9 (अ)–लैपटॉप/टेबलेट क्रय में वैट की कटौती नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 114 दि0 09.01.15 के द्वारा 3 टैबलेट क्रय करने हेतू रू 150000 (कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति, नगर प्रबंधक के लिए), महिला पार्षदों के लिए 5 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु 150000 रू का आवंटन पत्रांक 136 दि. 14.02.15 तथा पुरूष पार्षदों के लिए 5 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु 150000 रू का आवंटन पत्रांक 4334 दि. 22.08 15 द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। साथ ही कार्यालय प्रयोग हेतू दो अतिरिक्त लैपटॉप का क्रय किया गया। कोटेशन के माध्यम से न्यूनतम दर का चयन कर आपूर्ति आदेश दिया गया। संचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यालय उपयोग हेतू लैपटॉप का क्रय किस मद से किया गया । उपलब्ध संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निर्गत विपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया।

क सं	विपत्र सं /तिथि	दर	लैपटॉप / टैबलेट की सं	मुल्य	वैट की राशि 5 प्रतिशत की दर से	वैट सहित कुल मूल्य (रू)	भुगतान का विवरण		
1	2	3	4	3x4=5	6	5+6	चेक सं एव तिथि	राशि	एजेंसी का नाम
1	704 / 12.08.16	48000	2	96000	4800	96000	134790/ 05.09.16	96000	कृष्णा स्टेशनर्स एण्ड मोबाईल, पुपरी बाजार
2	907 / 03.08.15	29500	3	88500	4425	88500	134731/12.8.15	88500	देव कम्प्यूटर, थाना रोड, सीतामढी
3	908 / 03.08.15	29500	2	59000	2950	59000	134732/12.8.15	59000	तथैव
4	152 / 21.04.16	2847.19	3	85428.5	4271.42	89700	024525/ 7.5.16	89700	तथैव
5	153 / 22.04.16	28476.19	2	56952.38	2847.61	59800	024524/ 7.5.16	59800	तथैव
6	156 / 23.4.16	37400	1	37400	1870	37400	134777/ 7.5.16	37400	तथैव
7	5215 / 7.2.17	39899	1 एवं अन्य	39899	1995	39899	202225/ 15.2.17	39899	तथैव
8	283 / 19.12.15	71045	1 एवं अन्य	71045	3552	71045	134746/ 26.12.15		
	कुल			534224.88	26711				

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. आपूर्तिकर्त्ता से वैट की राशि रू 26711 की कटौती नहीं की गई जबकि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा फार्म 'सी – 3 जमा नहीं किया गया था। वैट की राशि रु 26711 का कटौती नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. भंडार पंजी में केवल पॉच लैपटाप जो महिला पार्षदों हेतू कय किया गया था का प्रविष्टि दर्ज है। भंडार पंजी में प्राप्तकर्ता का इस्ताक्षर नहीं था। इसके अलावा एक लैपटाप का ही प्रविष्टि दर्ज था।
3. अन्य 9 टैबलेट/ लैपटाप का प्रविष्टि भंडार पंजी में दर्ज नहीं था। निर्गत करने का भी कोई प्रमाण संचिका में संलग्न नहीं था।
4. संचिका में संलग्न कोटेशन /विपत्र पर विशिष्टियों का विस्तृत विवरण नहीं पाया गया। वारंटी का भी उल्लेख नहीं था।
5. कार्यालय उपयोग हेतू लैपटॉप का कय किस मद से किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया।
6. उपरोक्त कय हेतू बोर्ड से अनुमति सबंधित बोर्ड के अनुमति की कार्यवाही की प्रति लेखापरीक्षा दल उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(आ) फर्नीचर के क्रय में वैट की कटौती नहीं

नगर पंचायत जनकपुर रोड के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त मद से प्राप्त आवंटन से कार्यालय उपयोग हेतू फर्नीचर का क्रय किया गया। प्राप्त कोटेशन के न्यूनतम दर के आधार पर आपूर्ति आदेश अभिलाषा, सीतामढी एजेंसी को दिया गया। विपत्र का विवरण निम्नलिखित है–

क्र सं	विपत्र सं एवं तिथि	फर्नीचर का मूल्य	वैट की राशि	कुल राशि	भुगतान का विवरण		
					चेक सं/तिथि	राशि	एजेंसी का नाम
1	24/14.04.15	72985	9853	82838	A713808/16.6.15	82838	अभिलाषा, सीतामढी
2	31/21.04.15	72481	9785	82266	A281774/21.5.15	82288	
	कुल	145466	19638	165104		165104	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

आपूर्तिकर्त्ता से वैट की राशि रू 19638 की कटौती नहीं की गई जबकि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा फार्म 'सी–3' जमा नहीं किया गया था। वैट की राशि रु 19638 का कटौती नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार रु 19638 का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि आपूर्तिकर्ता से वैट जमा की साक्ष्य प्राप्त करने के पत्राचार किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि वैट की कटौती नहीं किए जाने के कारण अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 46349 (26711+ 19638) की वसूली की जाय एवं संबधित शीर्ष में जमा सुनिश्चित की जाय। इसके साथ साथ यह अनुरोध है कि उक्त आपत्तियों के निराकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका:–10 उपभोक्ता प्रभार शुल्क की वसूली नहीं –रू 2.91 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंर्तगत नगर निकाय क्षेत्र में घर घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दंड निर्धारित करने का प्रावधान है।साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी पत्रांक सं 3/UIG- रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.13 द्वारा उपरोक्त शुल्क एवं दंड का दर निर्धारित कर दिया गया। जिसमें न्यूनतम दर आवासीय होल्डिंग के लिए 20 रू प्रति महीना निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत जनकपुर रोड के द्वारा यहॉ के निवासियो को अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 (6 माह) डोर टू डोर सालिड वेस्ट कलेक्शन की सुविधा प्रदान की गई राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशानुसार उपभोक्ता प्रभार शुल्क की वसूली नहीं की गई। विवरण निम्नलिखित है--

क्र सं	अवधि	होल्डिंग की संख्या	न्यूनतम दर आवासीय होल्डिंग के लिए	कुल वसूलनीय राशि	वसूल कर गई राशि	कम/नहीं वसूल की गई राशि
1	2	3	4	2X3X4		
1	अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 (6 माह)	2429	20 रू	6 X2429 X20= 291480	0	291480

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि डोर–टू–डोर कलेक्शन की सुविधा कार्यालय के सफाई कर्मीयों द्वारा ही की जाती है। उपभोक्ता प्रभार शुल्क मॉगे जाने पर शांति

व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए प्रारंभ नहीं किया गया इसलिए डोर–टू–डोर कलेक्शन की सुविधा भी छः माह के बाद बंद कर दी गई।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमानुसार डोर–टु–डोर कुड़ा कलेक्शन में उपरोक्त शुल्क एवं दंड का प्रावधान था जो उपभोक्ता से नहीं लिया गया।

कंडिकाः–11 आयकर की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशिः– 0.43 लाख

केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्टेषन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जायगा।
अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत परन्तु उस व्यक्ति या संस्था ने कांटैक्ट के समय या भुगतान के पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।
नगर पंचायत जनकपुर रोड कार्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय में एक गाड़ी किराये पर ली गयी थी।

क्रम सं0	गाडी का प्रकार	गाड़ी संख्या
1	स्कौरपीओ	BR-30E-1111

उक्त गाड़ी पर अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि 216000/– का व्यय किया गया।

1. स्कौरपीओ–216000/–

विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	अवधि	राशि
1	अप्रैल'16 से अगस्त'16	90000.00
2	सितम्बर'16 से मार्च 17	126000.00
	कुल	**216000.00**

अंकेक्षण आपत्तिः–

1. प्रस्तुत की गयी संचिकाओं में वाहन मालिक द्वारा पैन सं0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कुल भुगतान का 20 प्रतिशत की कटौती अर्थात राशि 43200/– करके ही अंतिम भुगतान करना था, परन्तु संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि अंतिम भुगतान करते उक्त नियमानुसार कटौती नहीं की गयी थी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी एवं गाड़ी मालिक से पैन सं0 की भी मॉग की जाएगी।
उत्तर के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है।

कडिका:– 12 पुस्तकालय भवन के जिर्णोधार पर अप्राधिकृत व्यय राशि– रू. 2.15 लाख

नगर पंचायत जनकपुर रोड के द्वारा प्रस्तुत की गयी रोकड़बही एवं सचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि वार्ड सं0 7 में अवस्थित पुस्तकालय भवन का जिर्णोधार किया गया एवं राशि रू. 214915/– का व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

योजना का मद– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

योजना सं0– 10/2014–15

योजना का नाम–वार्ड सं0 7 में अवस्थित पुस्तकालय भवन का जिर्णोधार

स्वेदक का नाम– श्री तेज नारायण भगत

प्राक्कलित राशि– रू. 214915/–

मापी की विवरणी

कम सं0	मापी की संख्या	मापी की तिथि	मापी की राशि	पृष्ट सं0
1	प्रथम एवं अंतिम मापी	10.02.15	214915/–	04

भुगतान विवरणी

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	
1	713827	10.08.15	188716.00	अभिकर्त्ता को भुगतान
			26139.00	कर की कटौती
कुल			**214855.00**	

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. अंकेक्षण दल के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि वार्ड सं0 7 में अवस्थित पुस्तकालय भवन नगर पंचायत की सम्पति है या नहीं अवगत कराने का अनुरोध किया गया। आगे यह अनुरोध किया गया कि अगर सम्पति है तो विवरणी प्रस्तुत किया जाय और अगर नहीं तो किस प्रावधान के आधार पर भवन का जिर्णोधार किया गया।
2. नगर पंचायत किस आधार पर इस योजना का चयन किया गया। बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति दल को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

नगर पंचायत के द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नगरपालिका की सम्पति का ही रख– रखाव पर नगरपालिका के कोष से राशि का व्यय किया जाना है।

इस प्रकार राशि रू. 214855/– अनाधिकृत व्यय किया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकरात्मक कदम उठाये जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कडिका:–13 मोबाईल टावरों पर बकाया राशि – रू 5.94 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में रू 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू 8000 प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति

के तुरंत बाद देय हो जाएगा। अगर पंजीकरण शुल्क पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित एवं देय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किए तथा बिना नगर पंचायत की अनुमति के संचार टावर स्थापित किया जाना गैर कानूनी (अवैध) माना जाएगा। ऐसे टावर जिस पर पंजीकरण शुल्क और या नवीकरण शुल्क बकाया है, नगरपालिका को अधिकार है कि टावर को सील कर दे जब तक पूर्ण बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाए।

परन्तु, नगर पंचायत, जनकपुर रोड द्वारा अंकेक्षण में मोबाइल टावर की एक विवरणी प्रस्तुत की गयी जिससे ज्ञात हुआ 6 कम्पनियों के कुल 7 मोबाइल टावर अवस्थित थे। विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक उनके ऊपर कुल रू 594000 बकाया की विवरणी निम्नलिखित थी –

Sl. No.	Total No of Mobile Tower	Registration fee to be realised	Total Registration Amount realized till 31.3.17	Outstanding amount of registration fee (6-7)	Annual fee to be realised	Total amount of annual fee realised till 31.3.17	Outstanding amount (8+9)-(10)
1.	7	210000	0	210000	504000	120000	594000

मोबाइल टावरों पर कुल बकाया राशि रू 594000 के वसूल नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही साथ मोबाइल टावरों पर अवस्थित एडिशनल एंटिना संबंधित संचिका भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि मोबाइल टावर कम्पनी से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाएगें।

अतः अनुरोध है कि बकाया राशि 594000/– की वसूली संबधित मोबाइल कम्पनियों से की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका:–14 अग्रिम की राशि रू. 32.95 लाख

नगर पंचायत जनकपुर रोड के रोकडबही के नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक कुल रू. 3295000/– अग्रिम विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को दिया गया (विवरण परिशिष्ट–II पर संलग्न)।

विभिन्न कर्मचारियों की प्रदान की गयी अग्रिम की राशि रू. 3295000/– का समायोजन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह पता नहीं चल सका कि कर्मचारियों को अग्रिम स्वरूप प्रदान की गयी राशि रू. 3295000/– का समायोजन किया गया या नही।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अंकेक्षण दल द्वारा दर्शायी गई अग्रिम की सूची की पुनः जॉच की जाएगी एवं समायोजन/वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये एवं समायोजन की स्थिती से अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

कंडिका:–15 योजनाओं में श्रम उपकर की कटौती नहीं– रू 1.61 लाख

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं 4 /एफ 1–302/2006 श्र0 नि0–865 दि0 18.8.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रो से कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निदेषित करने का प्रावधान है। साथ ही ससमय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में उपरोक्त अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत दण्ड सहित दो प्रतिशत सेस तथा धारा–8 के अन्तर्गत से राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से सूद वसूल करना था। लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी योजना विवरणीं के अनुसार वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान कुल 57 योजनाओं पर रू 16073796/– व्यय किया गया परन्तु श्रम उपकर की कटौती नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	वर्ष	श्रम सेस नहीं को जाने वाली योजनाओं की स0	कुल भुगतान
1	2014–15	24	5630752
2	2015–16	14	4038695
3	2016–17	19	6404349
	कुल	57	16073796

विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप रू 160738/– की राशि कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी जा सकी।

उत्तर में बताया गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई थी, इसके लिए प्राक्कलन बनाने वाले कनीय अभियंता को आदेश निर्गत किया जाएगा कि अंकेक्षण के सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस प्रकार श्रम सेस के रूप में राशि की कटौती नहीं करने के कारण राशि 160738/– का अधिक भुगतान हुआ।

कंडिका :– 16 नक्शा शुल्क

रोकड़ बही के अनुसार नक्शा शुल्क रू0 15880.00 प्राप्त किया गया। विवरणी निम्न है–

कम स0	रोकड़ बही मे तिथि	राशि	रोकड़ बही की पृष्ठ सं0	अभ्युक्ति
1	18.05.16	5500	224	रू0 1000 का चेक अनादृत हो गया।
2	14.09.16	1000	248	
3	07.12.16	2000	266	
4	03.102.17	3000	276	
5	03.03.17	4380	278	
कुल		15880		

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. नक्शा पंजी के अनुसार वर्ष 2016--17 के अनुसार कुल 25 नक्शा पारित किया गया था। इसके लिए कितनी राशि ली गई तथा नक्शा पारित करने का क्या शुल्क था, अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
2. रोकड. बही वर्ष 2016–17 के अनुसार कुल 15880.00 रू0 नक्शा पारित शुल्क प्राप्त किया गया इसके साथ साथ राशि रू. 1000.00 का चेक अनादृत हो गया। चेक अनादृत होने के कारण को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। आगे इस बात से अवगत कराने का अनुरोध किया गया कि चेक अनादृत होने के बाद आवेदक से पुनः शुल्क प्राप्त किया गया या नहीं।

उक्त आपत्ति के आलोक मे कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कार्यालय में नक्शा शुल्क पंजी संधारित नही किया जा रहा है, जिसके कारण ही यह पता नहीं चल सका कि राशि कितनी प्राप्त की गई है। रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक की जॉचकर वस्तुस्थिति से कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। अतः अनुरोध है कि वस्तुस्थिती की जांच की जाय। जांच में अगर कम या नहीं जमा की राशि का पता चलता है तो कम या नहीं जमा की राशि को नगर निकाय कोष में जमा कर फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

भाग– III

टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी :–1 जिला: योजना समिति से पारित योजनाओं का कियान्वयन

बिहार नगरपालिका अधिनियम के धारा 274 एवं 275 के अनुसार जिला विकास योजना समिति के द्वारा अनुमोदित योजनाओं का कियान्वयन किया जाना है।
उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं का ही कियान्वयन जिला योजना समिति से पारित योजनाओं का किया जाता है। शेष योजनाओं का कियान्वयन साधारण बोर्ड से पास कराकर किया जाता है।

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी योजना विवरणी के अनुसार 2014–15 से 2016–17 में 58 योजनाएँ कियान्वित की गयी। जिसमें बी आर जी एफ मद से 7 योजनाए कियान्वित की गयी। शेष 51 योजनाएँ अधिनियम की उपरोक्त धारा के अनुपालन नहीं करते हुए बिना जिला योजना समिति से पारित किये ही कियान्वित की गयी। हालॉकि लेखापरीक्षा दल को बी आर जी एफ योजनाओं के जिला योजना समिति से पारित होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में उक्त नियमानुसार ही कार्यालय में कियान्वित होने वाली सभी योजनाओं को जिला योजना समिति से पारित कराकर ही कियान्वित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी :–2 नगर पंचायत के अधीन दो सामुदायिक भवन

नगर पंचायत के द्वारा यह बताया गया है कि जनकपुर रोड के वार्ड0 08 में दो सामुदायिक भवन नगर पंचायत की परिसम्पति है।

उक्त परिसम्पति के आलोक में अंकेक्षण दल के द्वारा निम्न तथ्यों से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया–

1. उक्त दोनों सामुदायिक भवन का उपयोग नगर पंचायत के द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है।
2. अगर उक्त दोनों सामुदायिक भवन में बिहार/केन्द्र सरकार के कोई प्राधिकारी के द्वारा अपने निवास स्थान या कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो निम्नलिखित सूचना दल को उपलब्ध करायी जाय।

कम सं0	प्राधिकारी का नाम/पदनाम	कब से कब तक उपयोग किया	सामुदायिक भवन का किराया	प्राधिकारी के द्वारा दी गयी किराया की राशि	अंतशेष	सामुदायिक भवन का क्षेत्रफल	वर्तमान समय में बाजार किराया

3. कार्यालय के द्वारा दोनों सामुदायिक भवन को कोई किराया पंजी संधारित किया जाता हैं।
4. दोनो सामुदायिक भवन में कार्यालय के द्वारा कोई फर्नीचर भी उपलब्ध करायी गयी थी, अगर हॉ तो सूची उपलब्ध करायी जाय।
5. कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंकेक्षण दल को यह बताया जाय कि अभी तक दोनों सामुदायिक भवन के रख– रखाव में कितनी राशि का व्यय किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि दोनों सामुदायिक भवन जब से नगर पंचायत के परिसम्पत्ति में शामिल हुई है तब से एक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं दूसरे में पुलिस उपाधिक्षक का निवास स्थान है।

अतः सामुदायिक भवनों को नगर पंचायत के अधिकार में लाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जायें।

टिप्पणी :–3 विज्ञापन कर

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 147 के तहत निम्न प्रावधान किया गया है–

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह, आकाश चित्रण पर या उपर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण, प्रदर्शन नियत या प्रतिधारित करता है अथवा हवाई अड्डा या बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन सहित नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक गली या स्थल से जन सामान्य को किसी विज्ञापन (इसमें चलचित्र यंत्र के माध्यम से प्रदर्शित विज्ञापन शामिल है) का प्रदर्शन करता है तो प्रत्येक विज्ञापन जिसका इस प्रकार परिनिर्माण, प्रर्दशन, नियत, धारण आलोक दृष्टि मे प्रदर्शन किया गया है, के लिए विनियमों द्वारा यथानिर्धारित दर पर परिगणित कर भुगतान करेगा

(2) उपधारा– (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित विज्ञापन पर इस धारा के अधीन कोई कर उदगृहित नहीं किया जाएगा–

(क) सार्वजनिक बैठक अथवा संसद या राज्य विधानमंडल या नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन से संबंधित अथवा ऐसे निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए, अथवा

(ख) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित, यदि विज्ञापन भवन में हो रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार से संबंधित हो, अथवा

(ग) भूमि या भवन के भीतर चल रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार के संबंध में प्रदर्शित विज्ञापन जो उस भूमि या भवन के ऊपर प्रदर्शित हो अथवा कोई बिक्री या ऐसी भूमि या भवन कोकिराये पर लगाने के लिए या उसमें किसी कार्य के लिए अथवा ऐसी भूमि या भवन पर या इसमें होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैठक के लिए, अथवा

(घ) जिस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, उस भूमि या भवन के नाम अथवा ऐसी भूमि या भवन के लिए या अधिभोगी के नाम से संबंधित, अथवा

(ङ) किसी हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे प्रशासन से संबंधित और ऐसे हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन के भीतर अथवा उसकी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित, अथवा

(च) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के किसी क्रियाकलाप से संबंधित।

(3) इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय किसी विज्ञापन पर कर विनियमों द्वारा यथानिर्धारित किस्तों एवं रीति से अग्रिम रूप में भुगतेय होगा।

नगर पंचायत जनकपुर रोड के रोकडबही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक 3 वर्षो मे विज्ञापन पर कर मद (केवल होर्डिंग से) में शून्य आय हुई। जबकि यह राजस्व संग्रहण का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नगर पंचायत जनकपुर रोड द्वारा विज्ञापन माध्यमों यथा होर्डिंग आदि का सर्वे एवं माग संबंधित तथ्य लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. विज्ञापन कर वसूली नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नही कराया गया।
3. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 145 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का निषेध किया गया है। इस धारा के अनुपालन में नगर

पंचायत के द्वारा 2014–15 से 2016–17 तक 3 वर्षो में अनुपालन के लिए उठाये गये कदमों से अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वर्तमान में विज्ञापनों से कर नही प्राप्त किया जाता है, सुझाव को ध्यान रखते हुए बोर्ड के आगामी बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियमानुसार विज्ञापन से कर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय ताकि नगर निकाय के आंतरिक स्त्रोत मे बढ़ोतरी हो सके एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

टिप्पणी :–4 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है, भविष्य में किया जाएगा।

टिप्पणी :–5 नगरपालिका लेखा समिति द्वारा कियान्वित कार्य

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

इसके संबंध में अंकेक्षण दल को निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया–

1. इस समिति का गठन कब किया गया? समिति के सदस्यों की सूची अंकेक्षण को उपलब्ध करायी जाए।
2. इस समिति की कब– कब बैठक हुयी?
3. इस समिति द्वारा कौन– कौन से कार्यों का निष्पादन किया गया?

नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि वर्तमान में नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया है भविष्य में किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि नगर पालिका लेखा समिति का गठन अविलम्ब किया जा सके एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

टिप्पणी :–6 वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में कमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम–82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय

का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।
उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया जा रहा है भविष्य में किया जाएगा।
अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये।

टिप्पणी :–7 वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का प्रस्तुतीकरण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 90 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा को कार्यालय आय एवं व्यय का वित्तिय विवरण एवं तुलन पत्र उपलब्ध करवाएगा।
अतः अंकेक्षण दल के समक्ष उपर्युक्त नियम के तहत 2015–16 का तैयार आय एवं व्यय का वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि आय व्यय की सम्यक जांच की जा सके।
उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है। तैयार होते ही दल को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये।

टिप्पणी :–8 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के. यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।
अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्येश्य पूरा नहीं हो पाता है।
अतः अंकेक्षण दल को अवगत कराने का आग्रह किया गया कि अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार नगर परिषद् द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया कि पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर वर्तमान लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराया जाए जिस पर उचित सुझाव दिया जा सके।
उक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि पुराने लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

टिप्पणी :–9 बजट प्राक्कलन

बिहार नगर अधिनियम 2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगर निकाय का बजट प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक साल के 15 फरवरी को तैयार करेगा एवं वह उसी साल के 15 मार्च तक सामन्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसे सामन्य बैठक स्वीकार करेगी। बजट को स्वीकार करने के बाद बजट की प्रति राज्य सरकार को भेजा जाता है जिसे राज्य सरकार उसे उसी साल के 31 मार्च को नगर निकाय को वापस कर देगी।
उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि बजट की प्रति कार्यालय में वर्तमान में नहीं मिल रहीं है। खोज कर अगले अंकेक्षण के सनय उपलब्ध करायी जाएगी।

टिप्पणी :–10 द्वि–प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं को अपने लेखा पुस्तकों को द्वि–प्रविष्टय लेंखाकन प्रणाली के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करते हुए रखेगी।

उक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि द्विप्रविष्टि प्रणाली वर्तमान में कियान्वित नहीं है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये।

टिप्पणी :–11 सात निश्चय के तहत पक्की गली –नालियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्की करण निश्चय योजना

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के संकल्प पत्र सं ज्ञापांक 2ब0/मु0श0ना0ग0यो0 –30–01/2016 /1288/न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 25.02.16 के द्वारा शहरी क्षेत्र में हर घर तक पक्की गली –नालियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्की करण निश्चय योजना के प्रर्वतन एवं कार्यान्वयन के संबंध में

बिन्दु 5 में यह उल्लेखित है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि इस योजना के लिए कर्णांकित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना का अलग खाता खोला जाएगा। पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि की इस योजना हेतू कर्णांकित राशि इस खाते में रखी जाएगी। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली राशि भी इसी खाते में रखी जाएगी।

बिन्दु 6 के अनुसार

1. नगर निकाय बोर्ड नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे।
2. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी योजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगें।
3. राज्य स्तर प्रधान सचिव / सचिव की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत होगी, जो राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के रूप में कार्य करेगी।

बिन्दु 7 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण हेतू निम्न प्रावधान किया गया है

1. प्रथम स्तर – निकाय स्तर पर संवेदक/प्रभारी अभियंता द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
2. द्वितीय स्तर – जिला गुणवत्ता समन्वयक – इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जायेगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय समय पर इसके संबंधित विस्तृत आदेश/ दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा। बिहार विकास मिशन के जिला स्तरीय परियोजना प्रबंध इकाई के विशेषज्ञों द्वारा भी अनुश्रवण किया जायेगा।
3. तृतीय स्तर – राज्य गुणवत्ता समन्वयक – इराके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख/ मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर विस्तृत आदेश/निर्देश/ अनुदेश निर्गत किया जायेगा।
4. तृतीय पक्ष निरीक्षण – सभी योजनाओं के प्रमुख सामग्रियों यथा पाईप, पम्प आदि के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर नगर पंचायत द्वारा किये गये अनुपालन संबंधित जानकारी बिन्दुवार संबंधित साक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अगले लेखापरीक्षा के समय सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

टिप्पणी :–12 गृहकर पुनरीक्षण नहीं होने से राजस्व की क्षति

संबंधित सहायक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत जनकपुररोड़ के सड़को का वर्गीकरण एवं मकानो के कर निर्धारण के संबंध में सरकार के ज्ञा. 3781/न.वि.वि. पटना दिनांक 02.12.2005 के द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी, (जिसके आधार पर नगर पंचायत द्वारा विभिन्न वार्डो में कुछ ही मकानो का गृहकर निर्धारण किया गया) परन्तु सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त दर को लागू करने हेतु नगरपंचायत द्वारा अबतक नगरपंचायत अन्तर्गत अवस्थित सभी घरो का न तो सर्वे किया गया न ही पुनरीक्षण कार्य किया गया तथा पुराने ही दरो (1998) पर गृहकर की वसूली की गयी। यद्यपि वर्ष 2009–10 मे उपरोक्त स्वीकृत दर के अनुसार कुल 11 वार्डो में नवनिर्मित 179 गृहकर मूल्यांकन किया गया।

कुछ ही मकानो का गृहकर निर्धारण किया गया। सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त दर को लागू करने हेतु नगर पंचायत द्वारा अबतक नगरपंचायत अन्तर्गत अवस्थित सभी घरो का न तो सर्वे किया गया न ही पुनरीक्षण कार्य किया गया तथा पुराने ही दरो (1998) पर गृहकर की वसूली की गयी।

सरकार द्वारा दरो की स्वीकृत वर्ष 2005–06 में ही प्राप्त होने के बावजूद अबतक लगभग 11 वर्षो बीत जाने पर भी गृहकर सर्वे तथा पुनरीक्षण कार्य न कराये जाने का कारण, इसके साथ साथ वर्ष 1998–99 से अबतक वार्डवार गृहो की संख्या में हुई वृद्वि तथा वार्षिक गृहकर मॉग की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराने, पुनरीक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराने, अंतिम पुनरीक्षण अथवा गृहकर लागू होने की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराने एवं गृहकर पुनरीक्षण से संबधित संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अगले लेखापरीक्षा के समय सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये।

–हस्ता0–
(शम्भु प्रसाद गुप्ता)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

परिशिष्ट - I

कंडिका 1

नगर पंचायत जनकपुर रोड

क्र0 सं0	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पता	नक्शा का क्षेत्र	लागत स्वीकृत कुल दर प्रति वर्गफिट	कुल लागत
1	श्री मेराज अहमद/पिता शाह मुहम्मद वार्ड–02	142.50	14500	2066250
2	श्रीमती प्रभा देवी/पति स्व0 जितेन्द्र प्रसाद वार्ड–06	162.60	14500	2357700
3	श्री डोमी पंडित/पिता स्व0 श्याम पंडित वार्ड–10	261.80	14500	3796100
4	श्रीमती वीणा देवी/पति दिनेश महथा वार्ड–	164.90	14500	2391050
5	श्रीमती नबीना झा/पति रविन्द्र झा वार्ड–9	311.95	14500	4523275
6	श्री ललन झा पिता दयानाथ झा वार्ड–2	166.97	14500	2421065
7	श्रीमती निर्मला सिंह/पति सजेन्द्र प्रसााद सिंह वार्ड– 9	285.40	14500	4138300
8	कमर बहीद वार्ड– 8	544.50	14500	7895250
9	इन्द्र कुमार ठाकुर वार्ड–11	161.00	14500	2334500
10	महादेव चौधरी वार्ड–	240.00	14500	3480000
11	शंकर प्रसाद/पिता स्व0 राधे प्रसाद वार्ड–11	160.80	14500	2331600
12	सुजीत कुमार/पिता उमेश चौधरी वार्ड–11	200.00	14500	2900000
13	विनोद कुमार चौधरी/पिता राम जिनिश चौधरी वार्ड–05	156.80	14500	2273600
14	सुनिला कुमारी /पति स्व0 नागेन्द्र राम वार्ड– 11	161.80	14500	2346100
15	ममता देवी/पति दिलीप प्रसाद वार्ड–03	132.90	14500	1927050
16	राजेश साह व उमेश साह/पिता रामअशीष साह वार्ड–11	82.00	14500	1189000
17	सबिता कुमारी झा/पति राजकुमार झा वार्ड–05	293.54	14500	4256330
18	गंभीरा देवी/पति श्री कान्त मिश्र	149.60	14500	2169200
19	कोकन प्रसाद सिंह/पिता स्व रामबुझावन सिंह वार्ड–04	191.56	14500	2777620
20	पवन कुमार चौधरी/पिता स्व0 सुरज चौधरी वार्ड–10	155.39	14500	2253155
21	राकेश कुमार मिश्र/पिता श्री चन्देश्वर मिश्र वार्ड–11	154.50	14500	2240250
22	निलम जयसवाल/पति विजय चौधरी वार्ड–11	92.30	14500	1338350
23	अंजु कुमारी/पति श्याम कुमार वार्ड–11	322.05	14500	4669725
	Total=			

Total– 68075470

परिशिष्ट - II

कंडिका नं - 14

अग्रिम

क्र.सं.	दिनांक	अभिश्रव सं.	चेक नं	राशि	अग्रिमधारक का नाम
01.	18.06.14	08	012859	300000.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद
02.	02.07.14	14	012860	150000.0	— वही —
03.	26.07.14	22	394564	10000.0	श्री अमिन्द्र चौधरी
04.	06.08.14	23	020821	400000.0	श्री राजेन्द्र प्रसाद
05.	14.08.14	25	020822	250000.0	— वही —
06.	13.09.14	28	020823	600000.0	— वही —
07.	29.09.14	32	020824	250000.0	— वही —
08.	24.11.14	47	020825	200000.0	— वही
09.	28.11.14	48	020826	300000.0	— वही —
10	07.04.15	02	134702	15000.0	श्री अमित रंजन
11	16.05.15	19	134711	30000.0	श्री राजेन्द्र प्रसाद
12.	29.06.15	35	134714	15000.0	श्री अमित रंजन
13.	15.07.15	42	134718	10000.0	उपावलम्ब स्टोर (सिटी मैनेजर)
14.	01.08.15	57	134722	15000.0	राम कलीम [illegible]
15.	04.08.15	58	023194	~~0500000.0~~ 500000.0	——
16.	10.08.15	61	023195	200000.0	——
17.	12.08.15	72	134730	50000.00	श्री रवि रंजन प्रसाद
				32,95,000.0	

Sunil Kr

SrAO